न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
8/2013	4.1.2013	29.9.2025

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र मुरली, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. शेरसिंह पुत्र छगन, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. धर्मसिंह पुत्र छगन, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. रूपसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. धनसिंह पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. राजाराम पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. रोहतास पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. राजवीर पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
9. मुकेश पुत्र रामस्वरूप, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
10. रमेश पुत्र जमूरया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
11. अमृतलाल पुत्र जमूरया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
12. रामकेश पुत्र जमूरया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
13. सुरेश पुत्र जमूरया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
14. इन्द्री बेवा जमूरया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
15. शिवचरण, नरसी, ओमी पुत्रान श्रवण, बैरवा नि0 टोकसी तह0 गंगापुरसिटी
16. रामसहाय, गंगासहाय, विजेन्द्र पुत्रान ओमप्रकाश, बैरवा निवासी टोकसी
17. रमेश, श्यामलाल, पूरणमल पुत्रान रामप्रसाद, बैरवा निवासी टोकसी
18. प्रहलाद, कैलाश, राजेन्द्र, राजेश पुत्रान प्रभुदयाल, बैरवा निवासी टोकसी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 जमाबंदी सं0 2067—2070 अनुसार रामचरण पुत्र मुरली हिस्सा 1/6, शेरसिंह, धर्मसिंह पि0 छगन हिस्सा 1/6, रूपसिंह, धनसिंह, राजाराम, रोहताश, राजवीर, मुकेश पि0 रामस्वरूप हिस्सा 1/6, रमेश, अमृतलाल, रामकेश, सुरेश पुत्रान व इन्द्री बेवा जमूरया जाति बैरवा निवासी टोकसी के नाम खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका उक्त आराजियात में प्रतिवादियों ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मकानात का निर्माण कर लिया है। ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू—परिवर्तन करा आबादी का निर्माण किया है जो अवैधानिक है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के अकृषि कार्य में उपयोग किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 को कब्जा राज लिया जाने एवं मौके से बेदखल किए जाने तथा भूमि को सिवायचक किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 ग्राम टोकसी कृषि भूमि है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण ने भूमि में कृषि उपज की सुरक्षा हेतु फार्म हाउस व पशुओं के लिए घर बनाए हैं। पटवारी हलका ने गलत रिपोर्ट पेश की है। कुछ लोगों ने अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। उसके खिलाफ पटवारी हलका ने रिपोर्ट पेश नहीं की है। अवैध किए गए अतिक्रमण को हटवाने के लिए अप्रार्थीगण ने आपकी अदालत में दावा बेदखली पेश कर रखा है जिसका उनवानी रामचरण बनाम शिवचरण है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि लैण्ड होल्डर द्वारा पेश किए गए इस परिवाद को खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 31.5.2018 को किशनी बेवा औमप्रकाश, शेरसिंह पुत्र रामसहाय, प्रहलाद पुत्र प्रभू, प्रभुदयाल पुत्र सूकया, मिश्री बेवा रामप्रसाद, रमेश पुत्र रामप्रसाद, श्यामलाल पुत्र रामप्रसाद, रामसहाय पुत्र औमप्रकाश, गंगासहाय पुत्र औमप्रकाश, वीरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश, जितेन्द्र पुत्र रामसहाय ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण की रिहायशी भूमि को राजकीय सम्पत्ति मानते हुए प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है जो गलत है एवं निराधार है। प्रार्थीगण ने भूमि ख0नं0 1558 रकबा 1.69 है0 ग्राम टोकसी के मूलखातेदार मुरली, जमूरया से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 14.9.1990 में खरीदी, उक्त भूमि पर मकान बनाए लगभग 27 साल से अधिक हो चुका है। मौके पर पूर्ण आबादी है। उक्त जमीन हमारी जानकारी के अनुसार प्रारम्भ से ही आबादी की भूमि रही है। मौके पर कोई कृषि भूमि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पर गौर फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे एवं उक्त भूमि जो शुरू से आबादी में है। इसके पट्टे प्रार्थीगण को दिलाए जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई—

1. आया भूमि ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 ग्राम टोकसी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण ने बिना किसी सक्षम आदेश के आबादी निर्माण कर लिया है। ——वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:43:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

2. आया प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग लिया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है एवं धारा 177 टीनेन्सी एक्ट के तहत भूमि सिवायचक घोषित होने योग्य है। ——वादी

3. आया वादी वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज कराने, मौके से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने एवं भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।——वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि में कृषि उपज की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण ने घर बनाए हैं। इस भूमि में कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। अतः लैण्ड होल्डर का परिवाद खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण ने भूमि के मूल खातेदार मुरली, जमूरया से जरिए विक्रय पत्र दिनांक 14.9.90 भूमि खरीदकर मकान बनाए हैं एवं मौके पर पूर्ण आबादी है। भूमि शुरू से ही आवादी की भूमि रही है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे। ——प्रतिवादीगण

6. अनुतोष।

जबाब प्रस्तुत करने के बाद अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वाद पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके पत्रांक 2475 दिनांक 17.12.2019 द्वारा यह बताया है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 में मौके पर नरसी, शिवचरण, ओमी पुत्रान श्रवण, रामसहाय, गंगासहाय, विजेन्द्र पुत्रान ओमप्रकाश, पूरण, रमेश, श्यामलाल पुत्रान रामप्रसाद, प्रभुदयाल पुत्र सूकाराम, चन्दरी पुत्री जिन्सी, रामचरण पुत्र मुरली, शेरसिंह, धर्मसिंह पुत्रान छगन, रमेश, सुरेश, अमृत रामकेश पुत्रान जमूरया, मीठ्या पुत्र अन्चा, किलाण, जयलाल पुत्र गोपी, रघुवीर, रणजीत, रामू, रूपसिंह पुत्रान रंगलाल, कमरसिंह पुत्र रामजीलाल, जलधारी पुत्र नाथ्या, किशनलाल, श्रीलाल व मंगली पत्नि रामस्वरूप वगैरा द्वारा आवासीय मकान बना रखे हैं तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजपुरा टोकसी भी इसी खसरा नम्बर में बना हुआ है। कुछ भूमि खाली है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना भूमि रूपान्तरण के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन उपयोग किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। सुलभ संदर्भ हेतु पटवारी हलका फद 'मौका की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि दावा डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने के कारण प्रार्थी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार स[illegible] की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार [illegible] नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 ग्राम टोकसी को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लेने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कारण इस नम्बर की भूमि को सिवायचक किए जाने का दावा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे एवं भूमि का कब्जा राज्य सरकार को संभलाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 ग्राम टोकसी के अनुसार भूमि ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के आबादी का निर्माण कर लेने के कारण टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत इस भूमि को सिवायचक घोषित किए जाने एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलाए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण ने इसका कोई जबाब नहीं दिया है एवं वे बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी का दावा स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 1568 रकबा 0.81 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय व डिक्री की प्रतिलिपि पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:38 IST
Reason: SelfAttested

दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.9.2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:38 IST
Reason: SelfAttested